

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :- इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 189 / 2015 / डिक्री

कालु पिता रामा बलाई
निवासी नरपत की खेडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

—अपीलान्ट

बनाम

1. मांगीबाई पुत्री रामा बलाई
2. बाबुलाल पिता कालु बलाई
3. मांगू पिता रूपा बलाई
4. ऊंकार मुत्तबान्ना लालू बलाई
5. भगवाना पिता केला बलाई
सभी निवासी नरपत की खेडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
6. राज्य जरिये तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

—रेस्पोंडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
दिनांक 10/06/2015 क्रमांक 22/2013

- उपस्थित –
1. श्री मोहनलाल जाट – अभिभाषक अपीलान्टस
 2. श्री बसन्तीलाल पोखरना– अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट –2

निर्णय

दिनांक – 15.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 मांगीबाई पुत्री रामा बलाई ने अपना हक एवं हिस्सा अपीलान्ट जो कि उसका भाई है उसके पख मे त्याग कर दिया था तथा मांगीबाई ने वाद पत्र को विद्रो करा लिया था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नही देकर निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है तथा अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार भी प्रकार की कोई साक्ष्य सबूत एवं दस्तावेज प्रस्तु त करने का कोई मौका नही दिया तथा मनमकसुद तरीके से निर्णय एवं डिक्री पारित की जो निरस्त योग्य है।

2. विवादग्रस्त कृषि आराजीयात पर अपीलान्ट का ही कब्जा एवं काश्त होकर अपीलान्ट ही उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 का मौके पर किसी

प्रकार से आधिपत्य नहीं होते हुए रेस्पोजेन्ट संख्या 2 के पक्ष में निर्णय एवं डिक्री जारी करने में वैधानिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है तथा रेस्पोजेन्ट संख्या 2 ने विवादित आराजीयात पर श्रीमती भगवानी के हिस्से पर वसीयती काबिज होना बताया है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में वसीयत साक्ष्य के प्रावधानों के अनुसार साबित नहीं होते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री अपीलान्त को बिना सुने एवं दोनों पक्षों की बिना साक्ष्य लिये निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो किसी भी सूरत में बहाल नहीं रखा जा सकता है। रेस्पोजेन्ट संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह बताया कि अपीलान्त संख्या 1 ने अपीलान्त संख्या 2 के पक्ष में दान विलेख कर कब्जा अपीलान्त संख्या 2 को मौके पर सुपुर्द कर दिया था लेकिन वादी संख्या 2 रेस्पोजेन्ट संख्या 2 ने उक्त दान विलेख जो रजिस्टर्ड दस्तावेज है सक्षम न्यायालय से निरस्त कराने हेतु कोई वाद प्रस्तुत नहीं किया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस कोई ध्यान नहीं देकर निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त फरमाया जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्त ने बयान किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य का मौका नहीं देकर निर्णय पारित किया है। यदि तनकीयात कायम कर साक्ष्य ली जाती तो न्याय हित में होता। ऐसी परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपील अपीलान्त स्वीकार की जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोजेन्ट ने बयान किया कि यह अपील लिमिटेशन में प्रस्तुत नहीं हुई है जिसके कारण खारीज होने योग्य है। साथ ही विवादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है जो गिफ्ट नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्त सारहीन एवं अवधिपार होने के कारण खारीज होने योग्य है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम किये बिना निर्णय पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। फलतः अपील अपीलान्त खारीज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 22/2013 में पारित निर्णय दिनांक

10/06/2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष की सुनवाई कर तनकीयात कायम करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
आई.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़